ऑन लाईन नं. GCMS 2023/217

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 68/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री बलवंत पुत्र श्री रूघाराम —(खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)—
मैसर्स दूध विक्रेता, गांव 7 एलएनपी, पीओ 6 एलएनपी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय दिनांकः 07.03.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमाक–आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.03.2023 को समय सुबह 10:30 एम बजे साधूवाली से रीको नेतेवाला बाइपास रोड राजपुरोहित होटल के पास टीम सहित पहुँचे, वहां पर दूध विक्रेत्ता, बलवन्त पुत्र श्री रूघाराम गांव 7 एलएनपी, पीओ 6एलएनपी, श्रीगंगानगर, मोटर साइकिल पर दूध विक्रय करने हेतु ले जा रहा था। मोके पर विक्रेता **बलवन्त पुत्र श्री रुघाराम** को अपना परिचय दे कर केन में रखे दूध बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को मालिक बताया व केन में लगभग 20 लीटर दूध **मिक्स मिल्क** को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से **मिक्स मिल्क** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध विकेता का निरीक्षण किया गया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिक्स मिल्क** 2 लीटर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा मिक्स मिल्क का नगद भुगतान 100 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री बलवन्त** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री बलवन्त** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिक्स मिल्क** 2 लीटर को करूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 डिब्बों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1685** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं **के–1685** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भान को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री बलवंत** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./289/Act/2023/289 Dated 22-03-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1685 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री बलवंत पुत्र श्री रूघाराम (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक) मैसर्स दूध विक्रेता, गांव 7 एलएनपी, पीओ 6 एलएनपी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **मिक्स मिल्क** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र लाल गठिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि 1. प्रार्थी के विरूद्ध उक्त इस्तगासा बेबुनियाद तथ्यों व शक के आधार पर विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का अपराध से कोई सरोकार नहीं है। 2. यह कि प्रार्थी से कोई दूध का नमूना नहीं लिया गया था। प्रार्थी से मात्र अपने कार्यालय में बुलाकर खाली फर्दो पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। 3. यह कि प्रार्थी के विरूद्ध आरोप में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फैट कम के अलावा अन्य कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। 4. यह कि दूध में फैट की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है और इसी कारण फैट की मात्रा में अन्तर आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। 5. यह कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में स्वयं के अलावा अन्य किसी स्वतन्त्र गवाह

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त ... श्रीगंगानगर (राज.)

को गवाहान लिस्ट में शामिल नहीं किया है तथा परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया है और परिवादी को अन्य किसी सरकारी स्वतन्त्र लैबोरेट्री से जांच करवाने का मौका भी नहीं दिया गया है। इसलिये परिवाद विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिक्स मिल्क** का सैम्पल **K-1685** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./289/Act/2023/289 Dated 22-03-2023 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में स्वयं के अलावा अन्य किसी स्वतन्त्र गवाह को गवाहान लिस्ट में शामिल नहीं किया है तथा परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया है और परिवादी को अन्य किसी सरकारी स्वतन्त्र लैबोरेट्री से जांच करवाने का मौका भी नहीं दिया गया है। इसलिये परिवाद विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Mixed Milk**" bearing Code No and Sr. No. K-1685 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed Standards of Food Safety and Standard [Food Product Standards and Food Aditives] Regulation 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री बलवंत पुत्र श्री रूघाराम (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक) मैसर्स दूध विक्रेता, गांव 7 एलएनपी, पीओ 6 एलएनपी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000–00 (अखरे रूपये बारह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)